भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 4106

सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक)

बेरोजगारी की उच्च दर

4106. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का बेरोजगारी की उच्च दर विशेषकर शिक्षित युवाओं में फैली इस समस्या का समाधान करने का विचार है और यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विगत दस वर्षों की बेरोजगारी दर के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का शैक्षिक और औद्योगिक आवश्यकताओं के बीच कौशल असंतुलन का समाधान ढूंढने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने व्यावसायिक और उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार केरल में युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करने हेतु और अधिक कौशल विकास केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) एवं (ख): रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डेटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति के आधार पर 15-29 वर्ष के युवाओं (शिक्षित सहित) की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 17.8% से घटकर वर्ष 2023-24 में 10.2% हो गई है जो युवाओं की वैश्विक बेरोजगारी दर 13.3% से कम है [अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा प्रकाशित विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान, 2024 के अनुसार]।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्टों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, वर्ष-वार, शैक्षिक स्तर-वार सूचना उपलब्ध है जिसे https://www.mospi.gov.in/download-reports?main_cat=ODU5&cat=All&sub_category=All पर देखा जा सकता है।

(ग) से (ङ): केरल के युवाओं सहित सभी के लिए रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रही है। इनमें अन्य के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), स्टैंड-अप इंडिया योजना, स्टार्ट अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोज़गार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार कौशल भारत मिशन (एसआईएम) को लागू कर रही है जिसका उद्देश्य कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों /महाविद्यालयों संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण प्रदान करना है। एसआईएम का उद्देश्य केरल के युवाओं सहित भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए सक्षम बनाना है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा को समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नामक रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी है।

सरकार ने कौशल विकास के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन तथा राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्रों (एनसीओई) की स्थापना के लिए राष्ट्रीय योजना अनुमोदित की है। इस योजना का उद्देश्य केरल राज्य सहित देश भर में हब-एंड-स्पोक व्यवस्था के माध्यम से 1,000 आईटीआई को अपग्रेड करना है। इस योजना के तहत, पाठ्यक्रम सामग्री और डिजाइन को उभरते क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ उद्योग कौशल आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा, जिसका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था की गतिशील आवश्यकताओं को पूरा करने और औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए भविष्य के लिए तैयार कुशल कार्यबल बनाना है।

केरल सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गठित जिला कौशल समितियों (डीएससी) को बुनियादी स्तर पर कौशल विकास और कार्यान्वयन के लिए विकेन्द्रीकृत योजना को बढ़ावा देने हेतु जिला कौशल विकास योजनाएं (डीएसडीपी) तैयार करने का अधिदेश दिया गया है। डीएसडीपी रोजगार के अवसरों के साथ-साथ जिले में कौशल विकास की संबंधित मांग वाले क्षेत्रों की पहचान करते हैं और कौशल प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं का खाका तैयार करते हैं। सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में चिन्हित कौशल अंतरालों को पाटने के लिए तैयार और कार्यान्वित किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, रोजगार क्षमता वृद्धि कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

*****